न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 5/ 2016 जिला सीकर

1. दीनदयाल पुत्र श्रीमती तारा बाई पुत्री प्रताप राम उर्फ रामप्रताप
2. सीताराम पुत्र श्रीमती तारा बाई पुत्री प्रताप राम उर्फ रामप्रताप
3. अशोक कुमार उर्फ पप्पू पुत्र श्रीमती तारा बाई पुत्री प्रताप राम उर्फ रामप्रताप समस्त जाति कुमावत, निवासी वार्ड नं. 12, सीकर (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र राम प्रताप उर्फ प्रताप राम दत्तक पुत्र गंगाराम एवं छगनी देवी उर्फ लक्ष्मी देवी, जाति कुमावत, निवासी 123, इन्द्रा नगर, आर.टी.ओ., इन्दोर (मध्यप्रदेश)
2. ग्रम पंचायत नानी जरिये सरपंच, ग्रम पंचायत नानी, तहत पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

3. तहसीलदार , तहसील व जिला सीकर (राज.)
4. उप खण्ड अधिकारी , सीकर (राज.)
5. रामरतन पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप राम, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नं. 12 , सीकर (राज.)
6. राजेन्द्र कुमार उर्फ राजकुमार पुत्र श्रीमती तारा बाई पुत्री प्रताप राम उर्फ रामप्रताप, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नं. 12 , सीकर (राज.)

प्रफोर्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर सीकर दिनांक 28.2.2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 19.3.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 28.2.2014 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 17.2.2016 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम नानी, तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 791, 792, 794, 821, 822 कुल किता 5 रकबा 4.69 की खातेदार चन्द्री देवी बेवा रामप्रताप हिस्सा 1/3 थी । खातेदार चन्द्री देवी के फौत होने पर उसकी विरासत

का नामांतरकरण संख्या 606 ग्रम पंचायत नानी द्वारा दिनांक 5.3.2002 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 एवं 6 रामरतन पुत्र रामप्रताप हि. 1/2 , राजेन्द्र कुमार एवं अपीलान्ट संख्या 1 से 3 दीन दयाल, सीताराम, अशोक कुमार माता तारा देवी हि. 1/2 के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 606 दिनांक 5.3.2002 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बनवारी लाल की अपील संख्या 21/2008 उनवानी बनवारी लाल बनाम रामरतन में उप खण्ड अधिकारी सीकर ने आदेश दिनांक 7.7.2011 से मृतक खातेदार चन्द्री देवी के वारिसों का सही नामांतरकरण नहीं खोले जाने एवं नामांतरकरण संख्या 606 दिनांक 5.3.2002 को निरस्त किया जाकर चन्द्री देवी के एक पुत्र अपीलान्ट एवं एक पुत्री कमला का नाम ओर दर्ज किये जाने तथा अपीलान्ट ने अपने कथन की पूर्ति के लिए 19 दस्तावेजों को संलग्न् किया, जिसमें सिविल न्यायालय के मामले हैं, जिनमें वाद, जवाब वाद आदि संलग्न् किये है । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रथम दृष्टया मृतक चन्द्री देवी के सभी वारिसों के नाम नामांतरकरण नहीं खोला जाना पाये जाने से सही और उपयुक्त यही माना कि उक्त नामांतरकरण को तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड कर मजमे आम में सभी को सुनकर निर्णय कराया जाये तो सभी उत्तराधिकारियों का पता लग जायेगा । अतः नामांतरकरण संख्या 606 निरस्त कर तहसीलदार सीकर को पुनः सुनकर फैसला करने का आदेश दिया गया ।

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 7.7.2011 की अनुपालना में तहसीलदार सीकर ने निर्णय दिनांक 29.3.2012 से चन्द्री देवी के विधिक वारिस रामरतन, बनवारी लाल एवं तारा देवी (मृतक पुत्री) एवं स्व. तारा देवी के वारिसान राजेन्द्र कुमार , दीनदयाल, सीताराम, अशोक कुमार एवं पुत्री पुष्पा देवी को मानते हुये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 791, 792, 794, 821 तथा 822 वाके ग्रम नानी तहसील व जिला सीकर की खातेदार चन्द्री देवी बेवा रामरतन के अलावा अपीलार्थी बनवारी जन्म से पुत्र होने के कारण विरासत के आधार पर चन्द्री देवी के पुत्र बनवारी, रामरतन एवं स्व. तारा देवी के नाम उक्तानुसार उत्तराधिकारी होना स्वीकार कर सभी उत्तराधिकारीगण के नाम हिस्सा बराबर के अनुपात में नामांतरकरण विधिवत भरे जाने का आदेश पारित किया है ।

तहसीलदार सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 29.3.2012 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट रामरतन वगैहरा की अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनाक 28.2. 2014 पारित किया कि " अधीनस्थ न्यायालय के चुनौतीग्रस्त आदेश न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के द्वारा अपील संख्या 21/08 उनवानी बनवारी लाल बनाम रामरतन निर्णय दिनांक 7.7.2011 द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर पारित किया है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियों के संबंध में विभिन्न न्यायालयो में प्रकरण लम्बित है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में विवादित भूमियों के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्रभावी है । ऐसी स्थिति में उक्त लम्बित

वादों के निर्णयानुसार ही पक्षकारान के हक व हिस्सों का निर्धारण होगा । अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है" ।

जिला कलक्टर सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.2.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट दीनदयाल पुत्र श्रीमती तारा बाई वगैहरा द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 28.2.2014 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 606 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवकताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बनवारी पुत्र चन्द्री देवी को चन्द्री देवी की सगी बहिन छगनी देवी उर्फ लक्ष्मी देवी व उसके पति गंगाराम ने रामनवमी विक्रम संवत 2016 को हिन्दू रीति रिवाज और परम्परा के अनुसार उसके जायन्दा माता पिता चन्द्रवी देवी व रामप्रताप की सहमति से परिवारजनों और रिश्तेदारों के सामने गौद में बिठाकर, सिर पर हाथ रखकर भौतिक रूप से दत्तक ग्रहण कर लिया था और छगनी देवी उर्फ लक्ष्मी देवी तथा गंगाराम ने ही बनवारी का पालन पोषण किया था तथा उसकी शादी भी उन्होंने ही की थी। बनवारी अपने दत्तक माता पिता के साथ ही रहा है और उनके स्वर्गवास के बाद उनकी सम्पदायें उनके दत्तक पुत्र वारिस होने के आधार पर प्राप्त की है जिनके सम्पूर्ण दस्तावेजों में दत्तक पिता का नाम अंकित है । बनवारी 50 सालों से इन्दौर में ही निवास करता है जिसका वादग्रस्त भूमि में किसी तरह का कोई हक व अधिकार नहीं है । सीकर नगर परिषद व विधानसभा, लोकसभा निर्वाचन मतदाता सूची में बनवारी का नाम कभी अंकित नहीं हुआ न ही उसका कोई राशन कार्ड यहॉ का बना हुआ है । बनवारी अपने दत्तक माता पिता के साथ निवास करता रहा था तथा उन्हीं की सम्पदाओं का उपयोग व उपभोग कर रहा है । उप खण्ड अधिकारी सीकर व तहसीलदार सीकर ने प्रकरण तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किये हैं । उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 7.7.2011 के खिलाफ अपीलार्थीगण रामरतन वगैहरा ने न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर चुनौती दे रखी थी तथा वह आज भी लम्बित है जिसकी तहसीलदार को लिखित में सूचना दी गई थी, लेकिन तहसीलदार ने बनवारी को नाजायज रूप से लाभ पहुॅचाने के लिये रिमाण्ड आदेश के खिलाफ लम्बित अपील के बावजूद भी आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद विचाराधीन था जिसकी जानकारी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को थी फिर भी नामांतरकरण के संबंध में आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर में सुखदेव बनाम रामरतन तथा न्यायालय अपर जिला जज क्रम–2 सीकर में

बनवारी लाल बनाम रामरतन उनवानी वाद विचाराधीन है जिनमें पक्षकारों के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण होना है जिनके निस्तारण तक न्यायिक रूप से नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था , लेकिन ऐसा नहीं कर तहसीलदार व जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है । उनका कहना था कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर दिनांक 28.2.2014 का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 23.1.2016 को उसके अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर हुआ ओर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अतः मियाद के संबंध लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 606 दिनांक 5.2.2002 यथावत रखा जावे ।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बनवारी लाल की ओर से बहस के दौरान कोई हाजिर नहीं हुये । राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि की खातेदार चन्द्री देवी थी जिसकी विरासत के संबधं में पारित आदेश तहसीलदार सीकर दिनांक 29.3.2012 एवं जिला कलक्टर सीकर दिनांक 28.2.2014 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार चन्द्री देवी की विरासत के नामांतरकरण का है । ग्रम पंचायत नानी ने चन्द्री देवी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 606 दिनांक 5.3.2002 रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 एवं 6 रामरतन पुत्र रामप्रताप हि. 1/2 , राजेन्द्र कुमार एवं अपीलान्ट संख्या 1 से 3 दीन दयाल, सीताराम, अशोक कुमार माता तारा देवी हि. 1/2 के नाम स्वीकार किया । उक्त नामांतरकरण संख्या 606 दिनांक 5.3.2002 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बनवारी लाल की ओपल उप खण्ड अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 7.7.2011 से मृतक खातेदार चन्द्री देवी के वारिसों का सही नामांतरकरण नहीं खोले जाने एवं नामांतरकरण संख्या 606 दिनांक 5.3.2002 को निरस्त किया जाकर कर चन्द्री देवी के एक पुत्र अपीलान्ट एवं एक पुत्री कमला का नाम ओर दर्ज किये जाने तथा अपीलान्ट ने अपने कथन की पूर्ति के लिए 19 दस्तावेजों को संलग्न् किया जिसमें सिविल न्यायालय के मामले हैं जिनमें वाद जवाब, वाद आदि संलग्न् किये है । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रथम दृष्टया मृतक चन्द्री देवी के सभी वारिसों के नाम नामांतरकरण नहीं खोला जाना पाये जाने से सही और उपयुक्त माना कि उक्त नामांतरकरण को तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड कर मजमे आम में सभी को सुनकर निर्णय कराया जाये तो सभी उत्तराधिकारियों का पता लग जायेगा । अतः नामांतरकरण संख्या 606 निरस्त कर तहसीलदार सीकर को पुनः सुनकर फैसला करने का आदेश दिया गया ।

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 7.7.2011 की अनुपालना में तहसीलदार सीकर ने निर्णय दिनांक 29.3.2012 पारित कर चन्द्री देवी के

विधिक वारिस रामरतन, बनवारी लाल एवं तारा देवी (मृतक पुत्री) एवं स्व. तारा देवी के वारिसान राजेन्द्र कुमार , दीनदयाल, सीताराम, अशोक कुमार एवं पुत्री पुष्पा देवी को मानते हुये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 791, 792, 794, 821 तथा 822 वाके ग्रम नानी तहसील व जिला सीकर की खातेदार चन्द्री देवी बेवा रामरतन के अलावा अपीलार्थी बनवारी जन्म से पुत्र होने के कारण विरासत के आधार पर चन्द्री देवी के पुत्र बनवारी, रामरतन एवं स्व. तारा देवी के नाम उक्तानुसार उत्तराधिकारी होना स्वीकार कर सभी उत्तराधिकारीगण के नाम हिस्सा बराबर के अनुपात में नामांतरकरण विधिवत भरे जाने का पारित किया है ।

तहसीलदार सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 29.3.2012 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट रामरतन वगैहरा की अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनाक 28.2. 2014 से विवादित भूमियों के संबंध में विभिन्न न्यायालयो में प्रकरण लम्बित होने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में विवादित भूमियों के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्रभावी की स्थिति में उक्त लम्बित वादों के निर्णयानुसार ही पक्षकारान के हक व हिस्सों का निर्धारण होना मानते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की है । सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं होने से विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य नियमित वाद विचाराधीन होना एवं न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर में सुखदेव बनाम रामरतन तथा न्यायालय अपर जिला जज कम–2 सीकर में बनवारी लाल बनाम रामरतन उनवानी वाद विचाराधीन होना , जिनमें पक्षकारों के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण होना तथा इनके निस्तारण तक न्यायिक रूप से नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था , लेकिन ऐसा नहीं कर तहसीलदार व जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय पारित करने में विधिक भूल करने का कथन मुख्य रूप से अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस में किया है । जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.2.2014 से विवादित भूमियों के संबंध में विभिन्न न्यायालयो में प्रकरण लम्बित होने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में विवादित भूमियों के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में उक्त लम्बित वादों के निर्णयानुसार ही पक्षकारान के हक व हिस्सों का निर्धारण होना मानते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की है । हम समझते हैं कि विवादित भूमियों के संबंध में पक्षकारों के मध्य विभिन्न न्यायालयो में प्रकरण लम्बित होने एवं विवादित भूमियों के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में पक्षकारान के हक व हिस्सों का निर्धारण लम्बित वादों में ही होना है । अतः अपीलाधीन

आदेश जिला कलक्टर सीकर दिनांक 28.2.2014 उचित एवं विधिसम्यक है एवं इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर